न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29 / 2025

1. मैना पत्नी शिवरतन जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थीया

बनाम

1. सुलतान पुत्र मामराज जाति कुम्हार साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. देवीलाल पुत्र मामराज जाति कुम्हार साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय चांडक	प्रार्थीया
2. श्री अशौक कुमार	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 12/5/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड पता प्रार्थना पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे। यह कि मिन प्रार्थीया के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 102 के प.नं. 10 / 289 (26) के किला नं. 23, 24, 25 की 0.759 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह कि अप्रार्थी न. 1 की भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 136 के प.न. 10 / 289 (26) के किला नं. 12, 19, 22 की कुल 0.759 हैव. नहरी व अप्रार्थी न. 2 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू.के खाता सं. 50 के प.नं. 10 / 289(26) सि 11 / 1 / 0.228, 11 / 2 / 0.025, 20 / 1 / 0.228, 20 / 2 / 0.025, 21 / 1 / 0.228, 21 / 2 / 0. 025 है0 नहरी गै.मु. रास्ता की 0.759 हैक कृषि भमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके हैं जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 सलंग्न प्रार्थना पत्र हैं।

यह कि प्रार्थीया की भूमि चक 12 एल. जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 102 के प.नं. 10 / 289 (26) के किला नं. 23, 24, 25 की 0.759 है0 नहरी खातेदारी में (जिसका विवरण प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की मंद सं. 2 में किया है) मे आने जाने हेतु अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल. जी.डब्लयू. के खाता सं. 136 के प.न. 10 / 289 (26) ... 22 / 0.013 है0 व अप्रार्थी न. 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. ... के ... 10 / 289(26) के किला नं. 21 / 1 / 0.013 है0 इसी तरह कुल ... दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 0.02... रास्ता ...कृत करवाना चाहती है ... प्रार्थीया को प.न. 10 / 289 (26) के किला न. 21 / 2 / 0.0... है0 गै.मु. रास्ता उतर ... दिशा मे स्वीकृत शुद्वा रास्ता है। और प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने के लिए दो किलो मे से पूर्व मे कोई रास्ता स्वीकृत नही है । यही रास्ता प्रार्थीया को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए सुविधा जनक हैं तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थीया काफी अरसा से अपनी भूमि मे आते जाते रहे है। क्योकि प्रार्थीया को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। तथा उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

व उपभोग करते आ रहें है। तथा प्रार्थीया को इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थीया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक आवगम हेतू नही है। तथा ना ही कोई रास्ता अलग से लगता है इसी रास्ते से प्रार्थीया की कृषि भूमि से दूरी कम पडती है।

यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अप्रार्थीगण की भूमि के समीप किला नं. 21/2/0.025 हैक0 स्वीकृत रास्ता हैं जिसका उपयोग वर्तमान में आने जाने हेतु हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थीया भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेगी। तथा अपनी भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

यह कि प्रार्थीया तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्लयू.के खाता सं. 136 के प. नं. 10/289(26) के किला नं. 22/0.013 है व अप्रार्थी न. 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 50 के प.नं. 10/289 (26) के किला नं. 21/1/0.013 हैक0 इसी तरह कुल दोनो किलो में से कुल 0.026 हैक0 बैजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने की कानूनी अधिकारी है। तथा प्रार्थीया उक्त रास्ता के लिये अप्रार्थीगण को रास्ता अवाप्त शुद्वा भूमि के बदले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित डी.एल.सी के मुताबिक राशी जमा करवाने के लिए तैयार व रजामन्द है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 136 के प.नं. 10/289 (26) के किला नं. 22/0.013 हैक0 व अप्रार्थी न. 2 की भूमि चक 12 एल. जी.डब्लयू. के खाता सं. 50 के प.नं. 10/289(26) के किला नं. 21/1/0.013 हैक् इसी तरह कुल दोनो किलो में से कुल 0.026 हैक0 बैजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तत करने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं प्रार्थीया द्वारा दिनांक 02.05.25 को स्वयम् हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा के तथ्य इस प्रकार है कि –प्रार्थी व अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड पता प्रार्थना पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे। जिनके मध्य रास्ता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते वादी प्रथम पक्ष ने उक्त दावा माननीय न्यायालय में पेश किया था परन्तु अब पंचायत व समाज के लोगो ने पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है।

यह कि मिन प्रार्थी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 102 के प. नं. 10/289 (26) के किला नं. 23, 24, 25 की 0.759 हैक0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 सलंग्न वाद पत्र है।

यह कि अप्रार्थी न. 1 की भूमि तहसील पीलीबं[illegible] 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 136 के प.न. 10/289(26) के किला नं. 12, 19 [illegible] की [illegible] 0.759 हैक. नहरी व अप्रार्थी न. 2 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.[illegible]289(26) के किला 11/1/0.228, 11/2/ 0.025, 20/1/0.228, 20/2/0.025, 21/1/0.228, 21/2/0.025 हैक नहरी गै.मु. रास्ता की 0.759 हैक कृषि भमि द[illegible] राजस्व रिकॉर्ड वाके हैं जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 सलंग्न प्रार्थना पत्र हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीया की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 102 के प.नं. 10/289(26) के किला नं. 23, 24, 25 की 0.759 हैक नहरी खातेदारी में (जिसका विवरण

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की मंद सं. 2 में किया है) मे आने जाने हेतु अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 136 के प. नं. 10/289 (26) के किला नं. 22/0.013 हैक0 व अप्रार्थी न. 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 50 के प.नं. 10/289(26) के किला नं. 21/1/0.013 है इसी तरह कुल दोनो किलो में से कुल 0.026 हैक. बेजानीब दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 0.026 हैक0 रास्ता लम्बा स्वीकृत करवाना चाहती है। चूंकि प्रार्थीया को प.न. 10/289 (26) के किला न. 21/2/0.025 हैक गै.मु. रास्ता उतर से दक्षिण दिशा मे स्वीकृत शुद्वा रास्ता है। और प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने के लिए दो किलो मे से पूर्व मे कोई रास्ता स्वीकृत नही है। यही रास्ता प्रार्थीया को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए सुविधा जनक हैं तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थीया काफी अरसा से अपनी भूमि मे आते जाते रहे है। क्योकि प्रार्थीया को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहें है। तथा प्रार्थीया को इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थीया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक आवगम हेतू नही है। तथा ना ही कोई रास्ता अलग से लगता है इसी रास्ते से प्रार्थीया की कृषि भूमि से दूरी कम पडती है।

यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अप्रार्थीगण की भूमि के समीप किला नं. 21/2/0.025 हैक0 स्वीकृत रास्ता हैं जिसका उपयोग वर्तमान में आने जाने हेतु हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थीया भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेगी। तथा अपनी भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 292 दिनांक 24.03.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट –प्रार्थी द्वारा चाहा गया प.नं. 10/289 (26) कि.नं. 21/0.013, 22/0.013 में जो कि मौके पर चालू है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 136 के प. नं. 10/289 (26) के किला नं. 22/0.013 हैक0 व अप्रार्थी न. 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्लयू. के खाता सं. 50 के प.नं. 10/289(26) के किला नं. 21/1/0.013 है इसी तरह कुल दोनो किलो की कुल 0.026 हैक. बेजानीब दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 0.026 हैक0 रास्ता राजीनामा अनुसार बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 12.05.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा